# मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक, या विकास संबंधी अपंगताओं वाले व्यक्तियों के लिए न्यायोचित आवास मार्गदर्शिका

www.hud.gov/fairhousing देखें
या नेशनल डिसक्रिमिनेशन हॉटलाइन को
1-800-669-9777 या 1-800-877-8339 (फ़ेडरल रिले) पर कॉल करें

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

Hindi

## आवासीय भेदभाव क्या होता है?

दी फेयर हाउसिंग एक्ट, दी अमेरिकन्स विद डिसएबिलिटीज़ एक्ट और रीहैबिलिटेशन एक्ट की धारा 504 मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक, और विकास संबंधी अपंगता सहित अन्य अपंगजनों को आवासीय भेदभाव से संरक्षित करते हैं। आवासीय भेदभाव के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :

- अपंगता के कारण आपको आवास किराये पर देने से इंकार करना
- आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपसे पूछना कि क्या आपको अपंगता है या किस प्रकार की अपंगता है, जब तक कि केवल अपंगजनों के लिए उपलब्ध आवास पाने की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रश्न आवास प्रदाता सभी आवेदकों से न पूछ रहे हों
- अपंगता के कारण आपको या आपके साथ रहने वाले व्यक्ति को उपलब्ध आवास दिखाने या उसके बारे में जानकारी देने से इंकार करना
- ऐसी वाजिब सुविधाएं देने से या वाजिब बदलाव करने की अनुमति देने से इंकार करना जो आपके या आपके साथ रहने वाले अपंग व्यक्ति के लिए आवास का उपयोग करने हेतु या उसका आनन्द लेने हेतु समान अवसर पाने के लिए आवश्यक हों
- अपंगता के कारण आपको किन्ही विशिष्ट आवासीय इकाईयों में या आवासीय कॉम्प्लेक्स के भागों में रहने से प्रतिबंधित करना
- अपंगता के कारण उपलब्ध आवास किराये पर देने के लिए अलग नियम या शर्तें जोड़ना, जैसे अधिक किराया या सिक्योरिटी डिपॉज़िट मांगना
- आपके किसी संस्थात्मक वातावरण में रहने के कारण आवास पर अलग नियम या शर्तें रखना, जैसे अतिरिक्त दस्तावेज़ों की मांग करना या अतिरिक्त सॉर्टिंग मंजूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहना
- अपंगता के कारण अधिक कठोर स्क्रीनिंग मापदंड लागू करना
- अपंगता के कारण आपको या आपके साथ रहने वाले व्यक्ति को बाहर निकाल देना
- अपंगता के कारण आपको या आपके साथ रहने वाले व्यक्ति को परेशान करना
- उपचार या दवाओं के बारे में पूछना
- आपको ऐसे आवासीय क्षेत्र में जगह लेने पर बाध्य करना जहाँ केवल, या प्रमुखतः, आपकी या आप जैसी अपंगता वाले व्यक्ति आवास सहायता पाने के लिए के लिए रहते हो

## संरक्षित मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक, और विकास संबंधी अपंगताओं के क्या उदाहरण हैं?

संरक्षित अपंगताओं में (अन्य के अलावा) शामिल हैं मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक, बौद्धिक, और विकास संबंधी समस्याएं, जैसे ऑर्गेनिक ब्रेन सिण्ड्रोम, अवसाद, दुष्चिन्ता, बाइपोलर डिसऑर्डर, पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD), विशेष शैक्षणिक अक्षमताएं, ऑटिज़्म, डाउन सिण्ड्रोम, मस्तिष्क की चोटें, अल्कोहोलिज़्म, और ड्रग की लत (वर्तमान गैरकानूनी नशीली दवाओं के अलावा)।

## वाजिब सुविधाएं और बदलाव क्या हैं?

वाजिब सुविधाएं और बदलाव का अर्थ है नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, सेवाओं, या किसी घर की भौतिक संरचना में बदलाव करना ताकि किसी अपंग व्यक्ति को आवास का उपयोग करने और आनन्द लेने का समान अवसर मिल सके। एचयूडी निधि से बने आवासों में, इकाईयों, सार्वजनिक, और सामान्य इस्तेमाल के क्षेत्रों की संरचना में बदलाव उन वाजिब सुविधाओं के तहत आएंगे जिनको आवास प्रदाता द्वारा दिया जाना आवश्यक होगा। वाजिब सुविधा या बदलाव के अनुरोधों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

- "पालतू जानवर प्रतिबंधित" नीति होने पर सहायक पशु रखने के लिए पूछना
- आवेदन या अन्य दस्तावेज़ भरने के लिए मदद मांगना
- आवास प्रदाता से सहायक साथ रहने की या अन्य सहायक सेवाओं की अनुमति लेना
- सीमित आवेदन अवधि को बढ़ाना औरआवेदन प्रक्रिया या स्थान में लचीलेपन की अनुमति देना
- किराया देने की नियत तिथी में बदलाव करके उसे सोशल सर्विस डिसएबिलिटी चेक, या अन्य लघु- या दीर्घ-अवधि अपंगता भुगतान मिलने तक बढ़ाना
- चलने-फिरने या अन्य संवेदी आवश्यकताओं के कारण घर की या साझा क्षेत्र की संरचना में बदलाव का अनुरोध करना
- अपंगता-संबंधित कारणों से नियत समय में अनुरोधों का जवाब न दे सकने पर भी प्रतीक्षा-सूची में बने रहने का अनुरोध करना
- प्रतीक्षा-सूची में सबसे ऊपर आ जाने पर, उपचार या अस्पताल-भर्ती आदि अपंगता-संबंधित वजहों से घर न ले सकने के कारण अतिरिक्त समय मांगना
- अस्पताल-भर्ती के कारण कोई हाल की किरायेदारी या नौकरी का इतिहास न होने के कारण अलग संदर्भ, जैसे कोई सोशल वर्कर, स्वीकार करने का अनुरोध करना

अनुरोध की गई सुविधा या बदलाव के लिए आपके पास कोई अपंगता-संबंधित कारण होना आवश्यक है। यदि आपकी अपंगता या सुविधा अथवा बदलाव के लिए कारण आवास प्रदाता के लिए सुस्पष्ट नहीं है, तो वे आपसे एक सीमित मात्रा में अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं। आपका अनुरोध अस्वीकृत करने से पहले आवास प्रदाता के लिए आवश्यक होगा कि वे आपसे उस अनुरोध पर चर्चा करें।

## किसी व्यक्ति को सुविधा या बदलाव कब मांगना चाहिए

ऐसे किसी भी समय जब आपको अपने आवास का संपूर्ण लाभ लेने के लिए या किसी एचयूडी-निधि प्राप्त कार्यक्रम या गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए किसी नियम, नीति, कार्यविधि, सेवा या घर की भौतिक संरचना में बदलाव की ज़रूरत हो। आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप किस प्रकार की सुविधा या बदलाव चाहते हैं। यदि अनुरोध की आवश्यकता सुस्पष्ट है या आवास प्रदाता को पहले से ज्ञात है, तो आपको और अधिक जानकारी देने की ज़रूरत नहीं। यदि अनुरोध की आवश्यकता सुस्पष्ट न हो या आवास प्रदाता को पहले से ज्ञात न हो, तो आपको अनुरोध की गई सुविधा या बदलाव तथा आपकी अपंगता के बीच का संबंध स्पष्ट करना पड़ सकता है। आपको विस्तृत चिकित्सकीय जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

परिवार का कोई सदस्य, मित्र, या वकील भी आपकी ओर से अनुरोध कर सकते हैं। किसी विशिष्ट प्रकार से या विशिष्ट समय पर अनुरोध करना आवश्यक नहीं होता, लेकिन आम तौर पर लिखित अनुरोध करना बेहतर होता है। आप पूछ सकते हैं कि क्या आवास प्रदाता किसी विशिष्ट प्रकार से अनुरोध प्राप्त करना चाहते हैं। तथापि, नियत फॉर्म या प्रक्रिया का उपयोग न किए जाने पर भी, आपके वाजिब सुविधा या बदलाव अनुरोध पर विचार करना आवास प्रदाता के लिए आवश्यक होता है।

# मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक विकास संबंधी अपंगता वाले व्यक्तियों के लिए न्यायोचित आवास मार्गदर्शन

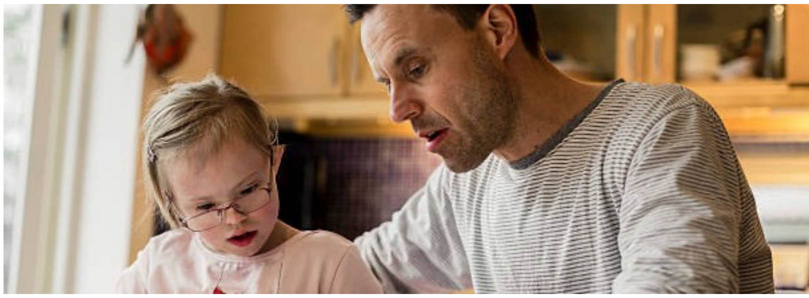

**क्या आपके साथ आवासीय भेदभाव हुआ है? आप एचयूडी या स्थानीय न्यायोचित आवास केन्द्र पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।**

**www.hud.gov/fairhousing/fileacomplaint पर जाएं या एचयूडी की नेशनल डिसक्रिमिनेशन हॉटलाइन को कॉल करें**

**1-800-669-9777 (अँग्रेज़ी/स्पेनिश) या 1-800-877-8339 (फ़ेडरल रिले)**

**आपके द्वारा न्यायोचित आवासीय शिकायत किए जाने पर आपके विरुद्ध आवास प्रदाता द्वारा कार्रवाई करना गैरकानूनी है।**

**ज़्यादा जानकारी के लिए www.hud.gov/fairhousing पर जाएं या अपने स्थानीय एचयूडी कार्यालय या राज्य अथवा स्थानीय न्यायोचित आवास संस्था से संपर्क करें। इन बातों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया उनकी लिंक पर जाएं :**

- न्यायोचित आवास कानूनों के तहत अपंगजनों के अधिकार
- धारा 504 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- फ़ेयर हाउसिंग एक्ट के तहत वाजिब सुविधाएं
- फ़ेयर हाउसिंग एक्ट के तहत वाजिब बदलाव
- फ़ेयर हाउसिंग एक्ट के तहत वाजिब सुविधा के रूप में किसी व्यक्ति के पशु रखने के अनुरोध का मूल्यांकन
- ओल्मस्टेड के लक्ष्यों की प्राप्ति में आवास की भूमिका पर एचयूडी का बयान